



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-08.05.2024

विषय:-ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामलों में अभियुक्त जुलकर नैन उर्फ बोम्मल को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 10,000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।

आज दिनांक 08-05-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के निर्देशन में मानिट्रिंग सेल व थाना मिर्जामुराद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु0अ0सं0 51/23 धारा 376AB भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त जुलकर नैन उर्फ बोम्मल, निवासी वकील अंसारी, निवासी भटपुरवा करधना, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी को मा0 विषेश न्या0 पाक्सो द्वारा धारा 354 बी में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 9/10 पाक्सो एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

गोमती ज़ोन, कमिश्नरट वाराणसी